[illegible]ालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

[illegible]/111/2022 — तारीख रजू......................

बलबीर — बनाम — अजय वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]0.05.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 218, 234, 49, 50, 222, 227, 40, 45, 60, 80, 244, 276, 427, 239, 282, 283, वाके ग्राम रेला तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में सायल को अपने हिस्सेनुसार मे कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करे। रहन वय ना करें। गैर सायल सं. 26 उक्त आराजी वावत किसी तरह का वयनाम रहनामा आदि दस्तावेत तस्दीक व पंजीवद्व ना चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 07.06.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 07.06.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
7/6/22	बमुकाम उपखण्ड/ अप्रार्थी संख्या 1, 5 से 7, 23 की ओर से श्री राजेन्द्रीलाल शर्मा एडवोकेट ने जवाब प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा पेश किया। [illegible] पत्रावली वास्ते बहस की तलबी दिनांक 24/6/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	औ.(प्रार्थी) को पाबन्द किये जाने से कोई किसी तरह की नुकसान नहीं या असुविधा होती है यह तथ्य परिस्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। प्रकरण इस्तगासा के सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय होने वाली क्षति होने हेतु आवेदक के पक्ष में प्रथम मामला है अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई आदेश होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा गैर सायल को ता फैसला दावा, अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह कार्यवाही पर पूर्ण जारी से आदेश दिनांक 20.5.22 को यथावत फैसला तक कायम किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम से बाद हो मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे सुनाया SDO 26/3/2 **उपखण्ड अधिकारी** **कठूमर (अलवर)**	